

7/8/19 फायली आज पेश हुई।

अपीलेंट द्वारा यह अपील अर्जेंट
धारा 19(1) सूचना का अधिका अधिनियम 2005
के तहत प्रान्त का लोक सूचना अधिका (कति
जिला कलेक्टर पाली से सूचना की प्रति उपलब्ध
कराने हेतु निर्देशित कराने वाक्यत विवेक किया है

इस आशयक द्वारा जसि फांक 958-59 डि० 11-7-19
लिखा जाते या लोक सूचना अधिका (ADMI Pub) से
अपने फांक ग० नो० स० नो० 166/2019/1344 डि० 11-7-19
के इस आशयक के अग्रत कराया है कि अपीलेंट द्वारा
व्यक्ति सूचना उपलब्ध करवादी गई है जिस फा से इस
सूचना व्यक्ति की गई इसकी प्रति नी तलगत व्यक्ति की है

प्रान्त अपील में व्यक्ति सूचना अपीलेंट को उपलब्ध
करवा दी जाते से इस अपील में किसी प्रकार की कार्यवाही
अपेक्षित नहीं रह जाती है। इसलिए अपील अपीलेंट
द्वारा की जाती है।

फायली शुभारंभ केसल की अफत
नाक से कम है।

जिला कलेक्टर, पाली

13/6
26/8/19